संख्या-16/2019-691/58-2019-195/2018

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 27 मार्च, 2019**

विषय :- उद्यान विभाग के शासकीय भवनों पर गृहकर के रूप में बकाये धनराशि के भुगतान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-220/बजट/2018-19, दिनांक 01.03.2019 एवं शासन के पुनर्विनियोग सं0-आर0ई0-711/ई-1-301/दस-2019, दिनांक 19.03.2019 तथा पृष्ठांकन सं0-550/58-2019-195/2018, दिनांक 26.03.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र-01-वेतन में हो रही बचतों के सापेक्ष 2401-फसल कृषि कर्म -001-निदेशन तथा प्रशासन-03-केन्द्रीय निदेशालय-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व हेतु धनराशि रू0- 4.30 लाख, लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व हेतु धनराशि रू0-10.11 लाख तथा 2406-वानिकी तथा वन्य जीव-02-पर्यावरणीय तथा वन्य जीव-112-सार्वजनिक उद्यान-03-उद्यान-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व हेतु धनराशि रू0-0.59 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-15.00 लाख (रूपये-पन्द्रह लाख) मात्र को निम्नलिखिति शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) लोक सभा चुनाव 2019 के दृष्टिगत प्रदेश में प्रभावी आचार संहिता का उल्लघंन न हो इसे निदेशक, उद्यान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

(6) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

(7) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 लेखाशीर्षक-

http://shasanadesh.up.nic.in

2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र-01-वेतन मद में हो रही बचतों के सापेक्ष लेखाशीर्षक 2401-001-03-17, लेखाशीर्षक 2401-001-05-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व तथा लेखाशीर्षक 2406-02-112-03-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व हेतु मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि को पुनर्विनियोग के निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2019-691(1)/58-2019, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in